निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

क्रमांकः प.5 / सां0 / 3(40) / विविध / 04 / 22441 दिनाक 23-5-07

उपशासन सचिव
चिकित्सा (ग्रप–4) आयुर्वेद विभाग
जयपुर

विषयः–"इलेक्ट्रो–होम्योपैथी" को मान्यता देने के सम्बन्ध में

प्रसंगः– आपका पत्रांक–प.2(15)आयु. / 05 दिनांक 11–5–07 2801 C

महोदय,

उक्त विषय एवं प्रंसग के सन्दर्भ में निवेदन है कि डा. हेमन्त सेठिया ने मा. चिकित्सा, स्वास्थ्य व आयुर्वेद मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर से दिंनाक 3–5–07 के पत्र के माध्यम से "इलेक्ट्रोपैथी" के लिये राज्य में कानून बनाने व मान्यता देने की मांग की है।

इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि इस निदेशालय के पूर्व पत्रांक 42240–41 दिंनाक 18–12–04 द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि इस पद्धति को राज्य स्तर पर मान्यता देने या केन्द्र सरकार को किसी प्रकार की संस्तुति करने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने हेतु राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिये।

पुनः निवेदन है कि डा. हेमन्त सेठिया के प्रस्ताव पर इस पद्धति को राज्य में मान्यता प्रदान करने हेतु विस्तृत अध्ययन करने के लिये राज्य सरकार के स्तर पर एक समिति का गठन किया जावे, ताकि वह समिति इस पद्धति के गुण–दोष के आधार पर औचित्यपूर्ण सिफारिश करे।

भवदीय

निदेशक